न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 11/2018
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 11.03.2020

1. किरनदेई पत्नि भूदर जाति जाट निवासी वार्ड सं. 23 कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

प्रार्थी / सायल

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र महाराजसिंह जाति जाट निवासी सुनार मुहल्ला, कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अप्रार्थी / गैरसायलान

उपस्थित श्री लक्ष्मणसिंह एड0

श्री रघुवीरशरण एड0

Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 3821 रकवा मिन 0.41 व 3794 रकवा 0.09 किता 2 रकवा 0.50 है. वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 3821 रकवा 0.41 मिन वाके कस्बा नदबई द्वितीय के 21/41 हिस्से पर तथा खसरा नम्बर 3794 रकवा 0.09 वाके कबा नदबई द्वितीय तहसील नदबई के 4/10 हिस्से पर प्रार्थीया मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 03.05.2007 से खातेदार की तरह काबिज चली आ रही है। जमाबंदी सं. 2070 से 2073 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई व फोटो काफी अल वयनामा दिनांक 03.05.2007 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 03.05.2007 को प्रतिफल 20,000 रूपया देकर मूल खसरा नम्बर 3821 रकवा 0.65 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में से 21/65 हिस्सा यानि कि 0.21 है. व खसरा नम्बर 3794 रकवा 0.09 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में से 4/10 हिस्सा क्रय किया था तथा तभी से प्रार्थीया अपने क्रयशुदा रकवा पर खातेदार की तरह काबिज चली आ रही

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

है। मूल सहखातेदारान के मध्य दावा व प्रार्थना पत्र टीआई पेश कर देने पर प्रार्थीया के पक्ष में क्रयशुदा आराजी का दाखिला खारिज व अमल दरामद खातेदारी नहीं हो पायी क्योंकि विधादित आराजी के मूल खसरा नम्बरान का मूल सहखातेदार के मध्य हो गया था। इसलिये वादिनी को अदालत श्रीमान में दावा पेश करना लाजमी हो गया है।

4. यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की संपूर्ण आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 के नाम चले आ रहे खातेदारी के गलत इन्द्राजात से प्रार्थीया के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः प्रार्थीया विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी खसरा न. 3821 मिन रकवा 0.41 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में से 21/41 हिस्से व खसरा न. 3794 रकवा 0.09 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई के 4/10 हिस्से पर अपने आपको खातेदार व काबिज घोषित करा पाने की अधिकारी है, तथा अप्रार्थी सं. 1 के नाम के वाहिदइन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने की अधिकारी है।

5. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी पर अब पूर्व की भांति शामिल काश्त करना संभव नहीं रहा है। तथा लगान व काश्त के संबंध में झगडे पैदा हो गये हैं। अतः प्रार्थीया विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र का प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 के मध्य उनके हक वाहिस्से मुताबिक कुरेजात मंगवाया जाकर पृथक –पृथक सर्वे नम्बर मंगाया जाकर पृथक–पृथक लगान तय किया जाकर बंटवारा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है।

6. यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 03.01.2018 को प्रार्थीया को व मुकाम नदबई तहसील पर यह एलानियां धमकी दी है कि विवादित आराजी पर अभी तक अप्रार्थी सं. 1 के नाम वाहिद इन्द्राजात खातेदारी चले आ रहे हैं। इसी बिनाय पर वह विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वयमुंतकिल करके रहेगा। तथा प्रार्थीया को उसके हिस्से खरीदशुदा से जबरन बेदखल कर देगा तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को अप्रार्थी सं. 2 के साज कर बदलाव कर रहेगा तथा विवादित आराजी में निकलने वाले वाईपास की संपूर्ण मुआवजा राशि को लेकर स्वयं लेकर रहेगा। अगर अप्रार्थी सं. 1 अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थीया अप्रार्थीगण स. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

7. यह है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के हक में है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना की आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा विवादित आराजी को रहनवयमुंतकिल नहीं करे व प्रार्थीया को उसके क्रयशुदा रकवा से बेदखल नहीं करे। तथा विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र में से निकलने वाले वाईपास की संपूर्ण मुआवजा राशि को प्राप्त न करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये प्रार्थीगण की ओर से श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये एव अप्रार्थी की ओर से श्री रघुवीरशरण जी एडवोकेट उपस्थित हुए। जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो निम्नानुसार है। :-

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 गलत होने से स्वीकार नहीं है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 प्रार्थीया में विवादित आराजी खसरा न. 4360/3821 व 3794 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित होना मुझ अप्रार्थी को स्वीकार है। परंतु उक्त विवादित आराजी में रिकॉर्ड में किसी प्रकार का हिस्सा अंकित नहीं है। इसके अलावा विवादित आराजी पर खातेदारी की हैसियत से काबिज चला आ रहा है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 प्रार्थीया मुझ प्रार्थी को स्वीकार नहीं है सभी तथ्य असत्य तहरीर किये गये हैं। मुझ अप्रार्थी ने दिनांक 03.05.2007 को किसी प्रकार का वयनामा प्रार्थीया के हक में तहरीर नहीं किया गया है। और न ही किसी प्रकार की कोई रकम मुझ अप्रार्थी ने प्रार्थी ने प्रार्थीया से प्राप्त की है। और न ही किसी प्रकार का कोई कब्जा प्रार्थीया को दिया है मुझ अप्रार्थी विवादित आराजी पर खातेदारी की है हैसियत से काबिज चला आ रहा है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 प्रार्थीया में सभी तथ्य प्रार्थीया ने असत्य तहरीर किये हैं। जो मुझ अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। मुझ अप्रार्थी संपूर्ण विवादित आराजी खातेदार की हैसियत से क़ाबिज चला आ रहा है। प्रार्थीया मुझ प्रार्थीया के इन्द्राजात को कलमजन कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिल खारिजी के है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 मुझ प्रार्थी संपूर्ण विवादित आराजी पर खातेदार की हैसियत से काबिज चला आ रहा है। प्रार्थीया का रिकॉर्ड में कोई अंकन नहीं है। और न ही प्रार्थीया को विवादित आराजी में किसी प्रकार का हिस्सा दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया विवादित आराजी में बटवारा करा पाने की अधिकारी नहीं है।
6. यह है कि मद सं. 6 प्रार्थना पत्र प्रार्थीया में सभी तथ्य असत्य एवं मनगढंत तहरीर किये हैं, जो मुझ अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है। मुझ अप्रार्थी ने प्रार्थीया को दिनांक 03.01.18 को कोई धमकी नहीं दी है। जब प्रार्थीया की विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, तो उसे धमकी देना का तो सवाल ही नही है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 मुझ अप्रार्थी को स्वीकार नहीं है प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के हक में है। प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।
8. यह है कि विवादित आराजी व अन्य आराजीयात का अन्य सहखातेदारान के मध्य बंटवारा की डिक्री पारित की है। इसके आधार पर मुझ अप्रार्थी की खातेदारी अंकित है ऐसी स्थिति में जब तक प्रार्थीया उक्त डिक्री निरस्त नहीं करा लेती है तब तक प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।
9. यह है कि मुझ अप्रार्थी ने विवादित आराजी का तथा कथित विक्रय पत्र तारीख 03.05.2007 को निरस्त कराने हेतु वादिनी प्रार्थीया के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई में वादपत्र पेश कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया न्यायालय श्रीमान से किसी प्रकार से स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

अतः श्रीमान जी से जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सायलान खारिज फरमाया जावे।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटोप्रति जमाबंदी संबत 2070–73 वाके ग्राम कस्बा नदबई द्वितीय, नकल फोटो प्रति असल वयनामा तारीख 03.05.2007 पेश की गई।

गैरसायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल फोटोप्रति निर्णय एसीजेएम नदबई मुकदमा दीवानी सं. 28/2019 तथा फोटोप्रति नकल प्रार्थना पत्र 28/2018 उनवान अमरसिंह बनाम श्रीमति किरनदेई न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 पेश किये गये।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1. प्राईमाफेसी केस :– दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88 व 188 के तहत खातेदारी घोषणा का है। प्रार्थीया अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.05.2007 को प्रार्थी के पक्ष में किये गये वयनामें के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाहता है। सायल द्वारा अपने तर्क को सिद्ध करने के समर्थन में आरआरटी 2014(1) पेज न 97 दाताराम बनाम घीसाराम वगैरा पेश किये। अप्रार्थी ने अपने जबाब व बहस में वयनामे को फर्जी व कूटरचित बताया है,एवं वयनामे को अवैद्य घोषित कराने के लिये न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये स्थगन जारी किया हुआ है। चूंकि प्रकरण वयनामे के वैद्य व अवैद्य होने का है, एवं इस बाबत न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नदबई में प्रकरण विचाराधीन है व स्थगन लिया हुआ है। अतः अप्रार्थी को भी विवादित आराजी के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के लिये पाबंद करना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।
2. सुविधा का सन्तुलन –: बिन्दु सं. 1 के मद्धेनजर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
3. अपूर्णीय क्षति –: यदि विवादित आराजी के वर्तमान खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा आराजी का बेचान किया जाता है तो प्रार्थी के हकों के निर्धारण में परेशानी होगी व प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमे का सामना करना पडेगा जो कि प्रार्थी के लिए अपूर्ण क्षति होगी। अतः दावे के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के पाबंद किया जाना उचित होगा।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 3821 रकवा मिन 0.41 व 3794 रकवा 0.09 किता 2 रकवा 0.50 है. वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें से खसरा नम्बर 3821 रकवा 0.41 मिन वाके कस्बा नदबई द्वितीय के 21/41 हिस्से पर तथा खसरा नम्बर 3794 रकवा 0.09 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई के 4/10 हिस्से पर प्रार्थीया मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 03.05.2007 से खातेदार की तरह काबिज चली आ रही है। जमाबंदी सं. 2070 से 2073 वाके कस्बा नदबई जिला भरतपुर पर विवादित आराजीयात की दावें के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा पावंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विन[redacted])
उपखण्ड[redacted]बई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner